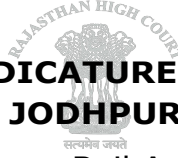




**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**



S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 4978/2026

Raju S/o Narayan Lal, Aged About 32 Years, R/o Bala, Police Station Bilara, district Jodhpur, Rajasthan Lodged In District Jail, Chittorgarh

-----Petitioner

Versus

State of Rajasthan, Through PP

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Bhagirath Ray Bishnoi
For Respondent(s)	:	Mr. Urja Ram Kalbi, PP with Mr. Ravindra Singh, PP

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA SHEKHAR SHARMA

Order

05/05/2026

प्रार्थी-अभियुक्त राजू की ओर से यह जमानत प्रार्थना-पत्र धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन पुलिस थाना निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 178/2022 अपराध अन्तर्गत धारा 8/25 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के मामले में प्रस्तुत किया है।

02. मैंने योग्य अधिवक्ता प्रार्थी-अभियुक्त व योग्य लोक अभियोजक की बहस सुनी एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

03. योग्य अधिवक्ता प्रार्थी-अभियुक्त ने तर्क दिए कि प्रार्थी-अभियुक्त निर्दोष है और उसे इस प्रकरण में मिथ्या रूप से लिप्त किया गया है। प्रार्थी-अभियुक्त के कब्जे से किसी प्रकार के मादक पदार्थ की बरामदगी नहीं हुई है। प्रार्थी-अभियुक्त के विरुद्ध समान प्रकृति का अन्य कोई आपराधिक प्रकरण भी दर्ज नहीं है। केवल जिस वाहन से बरामदगी होना कथन किया गया है, उसका वाहन स्वामी होने के आधार पर ही प्रार्थी-अभियुक्त को घटना में संलिप्त किया गया है। प्रकरण में जिस वाहन से बरामदगी बताई गई है, उसका पंजीकृत स्वामी महावीर दास था, जिससे



प्रार्थी-अभियुक्त राजू द्वारा वाहन जरिये इकरारनामा किराये पर लिया गया था। इसके पश्चात् राजू ने पुनः उक्त वाहन को आगे वास्तविक चालक रामकिशोर को किराये पर दिया था। इस बाबत् भी एक इकरारनामा लिखवाया गया था, जिसमें यह शर्तें भी तय की गई थीं कि इस वाहन में किसी प्रकार की गैर-कानूनी वस्तु, मादक पदार्थ इत्यादि का वह परिवहन नहीं करेगा और यदि ऐसा कोई कार्य किया जाता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी रामकिशोर पर ही डाली जाएगी। इस प्रकार वास्तविक रूप से वाहन के संचालन की समस्त जिम्मेदारी रामकिशोर पर ही डाली गई थी और रामकिशोर का जमानत प्रार्थना-पत्र इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा दिनांक 21.07.2023 को एड्स से ग्रसित होने की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए स्वीकार किया जा चुका है। इसी प्रकरण में एक अन्य सहअभियुक्त राजीव कुमार उर्फ राजू का जमानत प्रार्थना-पत्र भी इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा पूर्व में दिनांक 29.03.2023 को स्वीकार किया जा चुका है। प्रकरण में प्रार्थी-अभियुक्त काफी समय से अभिरक्षा में है। प्रकरण के निष्कर्ष में समय लगने की संभावना है। अतः ऐसी परिस्थितियों में प्रार्थी-अभियुक्त को जमानत का लाभ दिए जाने का निवेदन किया।

04. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक ने जमानत प्रार्थना-पत्र का विरोध करते हुए प्रार्थी-अभियुक्त का जमानत प्रार्थना-पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

05. मैंने उपर्युक्त परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया। अभिलेख के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि दिनांक 04.04.2022 को थानाधिकारी कोतवाली, निम्बाहेड़ा को प्राप्त सूचना के अनुसरण में मय जाप्ता जलिया चैक पोस्ट पहुंचने पर स्लीपर बस नंबर आर.जे. 19 पी.बी. 6938 में चालक रामकिशोर की उपस्थिति में तलाशी लिए जाने पर कुल 41 कट्टों में आठ क्विंटल अठारह किलो अवैध डोडाचूरा मय बारदान बरामद किया गया था और प्रार्थी-अभियुक्त के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 8/25 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम का ही बनाए जाने से गिरफ्तार किया गया था। अभिलेख पर उपलब्ध इकरारनामा के अनुसार जिस वाहन से बरामदगी हुई थी, उसे प्रार्थी-अभियुक्त द्वारा महावीर दास से किराये पर लिया



गया था तथा इसके बाद उस वाहन को पुनः प्रार्थी-अभियुक्त द्वारा जरिये इकरारनामा वाहन को रामकिशोर को ड्राइवर रखते हुए किराये पर सुपुर्द करते हुए, इसमें यह शर्तें भी तय की गई थीं कि इस वाहन में किसी प्रकार की गैर-कानूनी वस्तु, मादक पदार्थ इत्यादि का वह परिवहन नहीं करेगा और यदि ऐसा कोई कार्य किया जाता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी रामकिशोर पर ही डाली जाएगी। इस प्रकरण में सहअभियुक्त रामकिशोर का जमानत प्रार्थना-पत्र इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा दिनांक 21.07.2023 को एड्स से ग्रसित होने की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए स्वीकार किया जा चुका है एवं एक अन्य सहअभियुक्त राजीव कुमार उर्फ राजू का जमानत प्रार्थना-पत्र भी इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा पूर्व में दिनांक 29.03.2023 को स्वीकार किया जा चुका है। प्रार्थी-अभियुक्त के विरुद्ध समान प्रकृति का अन्य कोई आपराधिक प्रकरण भी दर्ज नहीं है। प्रस्तुत तर्कों, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री, प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों आदि को देखते हुए, इस प्रक्रम पर प्रकरण के गुणावगुण पर कोई विवेचन किए बिना प्रार्थी-अभियुक्त राजू को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

06. परिणामतः प्रार्थी-अभियुक्त **राजू पुत्र नारायणलाल** की ओर से प्रस्तुत जमानत का यह प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी-अभियुक्त पुलिस थाना निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 178/2022 में विद्वान विचारण न्यायालय में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में एक लाख रुपये का मुचलका एवं विचारण न्यायालय के संतोषप्रद पचास-पचास हजार रुपये की दो सुदृढ़ जमानतें प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे, तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(CHANDRA SHEKHAR SHARMA),J